

दिनांक 12.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत राऊ नदी गढ़ रोशनाबाद में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत राऊ गढ़ रोशनाबाद में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 के अर्न्तगत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर अन्नेकी में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 12.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्वालिटी इण्डिया प्रा०लि०, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- ❖ इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, गढ़ रोशनाबाद के निकट राऊ नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नहीं है।
- ❖ परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अर्न्तगत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्विक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
- ❖ प्रस्तावित खनन / चुगान में गंगा नदी में 11.883 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.65 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोड़कर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैनुअल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- ❖ प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनों के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- ❖ परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैनुअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ❖ ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनो के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडकों पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- ❖ कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू० 4.06 लाख का बजट प्रस्तावित है।





प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है—


1. श्री लखबीर सिंह द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों को खनन सामग्री उठाने में सभी करों में छूट प्रदान करने की मांग की गयी तथा यह भी कहा गया कि खनन किनारों से नहीं होना चाहिये। इस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि नदी के दोनो तरफ 15-15 प्रतिशत भाग छोड़ते हुये खनन होगा, जिससे कटाव होने की सम्भावना नहीं होगी।
2. श्री करवपाल जी द्वारा बताया गया कि खनन निश्चित सीमा में होना चाहिये। पूर्व में आई बाढ़ से तथा अवैध खनन से स्थानीय लोगों की जमीनों का कटाव हो रहा है जिस हेतु तटबन्ध बांध कर निश्चित दूरी पर ही खनन होना चाहिये।
3. श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्राम समाज से जुड़े लोगों को एवं उनके वाहनों को खनन में प्राथमिकता मिलनी चाहिये, नदी के कटाव के सम्बन्ध में निति बनाई जानी चाहिये तथा पूर्व में हुये जमीनों के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिये। खनन होने से पूर्व स्थानीय क्षेत्र की सड़कों एवं पानी की निकासी इत्यादि समस्याओं का समाधान भी होना चाहिये। इस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि उत्तराखण्ड शासन की निति के अनुसार खनन में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस कार्या में स्थानीय ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इत्यादि की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। खनन से जो रायल्टी प्राप्त होगी उसके 10 प्रतिशत भाग का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा राऊ नदी गढ़ रोशनाबाद में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने-अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन के विरोध में मतदान नहीं किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते हैं वह अपने-अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर खनन के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवाही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से राऊ नदी गढ़ रोशनाबाद से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रक्रिया की विडियो रिकार्डिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।


एम०डी० ढौंडियाल
समन्वयक, गढ़वाल मंडल
विकास निगम, हरिद्वार


डॉ० अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)
उ०प०सं०प्र०नि०बो०, रूडकी


रंवीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

दिनांक 12.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा
 जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी गढ-रोशनाबाद में
 उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए
 आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम सं०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चिमा, अपर जिला अधिकारी (विन) हरिद्वार	
2	डा० अशोक कसेल प्रो. अ., प्र. नि. को., रुड़की	
3	सम. डी. डोंडियाल, सम-व्यवस्था, JAMUN	
4	रमेश लक्ष्मी, सहा. अधिक. प्र. नि. को., रुड़की	
5-	डॉ० चंद्रपाल यादव प्रधान	
6	यमेली	यमेली
7	पंचोप कुमार	पंचोप कुमार
8	मालशिवं	मालशिवं
9		
10	Sanjay Kumar	Sanjay Kumar
11	विरट कुमार	विरट कुमार
12	राका कुमार	
13	अशोक कुमार	
14	अरुण कुमार	A
15	पवंश कुमार	
16	अरविन्द कुमार	A
17	अनुज कुमार	A
18		

क्रम सं०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	करपाल	करपाल
20	अजीत कुमार	अजीत कुमार
21	Bablu K.	Bablu K.
22	अर्जुन	अर्जुन
23	गुरेन्दु सिंह	Gurinder Singh
24	Anuj Kumar	Anuj Kumar
25	अतर सिंह	
26	राजीव	
27	दिलीप कुमार	दिलीप
28	Sachin Kumar	Sachin K.
29	नीलम कुमार	नीलम
30	रविंद्र	रविंद्र
31	Ravi Kumar	
32	इलमसिंह	इलमसिंह
33	जगपाल सिंह	जगपाल सिंह
34	प. स.	प. स.
35	भगत राम	भगत राम